



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235177
CG-DL-E-18042022-235177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]
No. 286]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 300(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 208(अ), दिनांक 16 मार्च, 2022 में, भारत सरकार की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गए या लोप किये जाने वाले कार्यों के अलावा, केंद्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 22.03.2023 तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से एक सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर | - | अध्यक्ष |
| 2) माननीय न्यायमूर्ति सुश्री ज्योति सिंह | - | सदस्य |
| 3) माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रतीक जालान | - | सदस्य |

[फा. सं. यू-11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

भगवान सहाय मीना, अवर सचिव (पीआईटीएनडीपीएस)

पाद टिपणी: दिनांक 16 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 208(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में क्रमशः दिनांक 16 मार्च, 2022 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, G.S.R. No. 208(E) dated 16th March, 2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board with immediate effect for a period up to 22.03.2023, consisting of :-

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|-------------|
| (i) | Hon'ble Mr. Justice C. Hari Shankar | - | Chairperson |
| (ii) | Hon'ble Ms. Justice Jyoti Singh | - | Member |
| (iii) | Hon'ble Mr. Justice Prateek Jalan | - | Member |

[F. No. U-11016/01/2011-PITNDPS]

BHAGWAN SAHAI MEENA, Under Secy. (PITNDPS)

Footnote: The Notification G.S.R. No. 208 (E) dated 16th March, 2022 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 16.03.2022.